उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग
संख्या-12/2016/100/55-पर्या-2016
लखनऊ : दिनांक : 14 मार्च, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल) के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत हो रहे हैं, जिन पर मा0 अधिकरण द्वारा प्रभावी कार्यवाही हेतु समयबद्व आदेश पारित किये जाते हैं। एक आवेदन पत्र पर मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सामान्यतः एक से अधिक विभागों के स्तर से अपेक्षित होता है। देखने में आ रहा है कि कतिपय मामलों में मा0 अधिकरण द्वारा नियत अवधि में विभागों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो पाती है।

अतः मा0 अधिकरण के समक्ष लम्बित आवेदन पत्रों/वादों में पारित आदेशों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की समिति गठित की जाती है :-

1- उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण निदेशालय, मेरठ - अध्यक्ष
2- क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य
3- क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य सचिव

उक्त समिति मा0 अधिकरण के समक्ष लम्बित आवेदन पत्रों/वादों में पारित आदेशों की प्रति सप्ताह समीक्षा करेगी तथा सभी विभागों से सम्बन्धित मा0 अधिकरण के अधिवक्ताओं से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करेगी कि मा0 अधिकरण के आदेशों का अनुपालन किस-किस विभाग द्वारा किया जाना है और उसमें क्या-क्या कार्यवाही अपेक्षित है। उक्तानुसार सभी लम्बित वादों को चिन्हित कर उनमें मा0 अधिकरण के आदेश के क्रम में अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन की ओर से सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव के लिये अर्द्व शासकीय पत्रालेख्य भी नियमित रूप से उपलब्ध करायेगी।

समिति द्वारा उक्त कार्यवाही प्रथमतः 20 मार्च, 2016 तक पूर्ण कर ली जायेगी और इसके उपरान्त नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह वादों की समीक्षा करते हुये उक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संजीव सरन
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-12/2016/100(1)/55-पर्या-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5- सम्बन्धित अधिकारीगण।
6- मा0 अधिकरण में विभागों से सम्बन्धित सरकारी एडवोकेट (द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।